न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 236/2013 निर्णय दिनांक :–28.06.19

उनवानी दावा :

1. बदरी लाल पुत्र छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी रामपुरा तहसील–टोडारायसिंह जिला–टोंक
2. ब्रम्हानन्द पुत्र छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी रामपुरा तहसील–टोडारायसिंह जिला–टोंक
3. बदनकेस पुत्र छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी रामपुरा तहसील–टोडारायसिंह जिला–टोंक
4. प्रहलाद पुत्र छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी रामपुरा तहसील–टोडारायसिंह जिला–टोंक

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक (राज.)
2. तहसीलदार दूनी जिला–टोंक
3. भूमि आवाप्ति अधिकारी बिसलपुर परियोजना देवली जिला–टोंक

– अप्रार्थीगण –

उपस्थिति :–

श्री पी.सी. जैन
अधिवक्ता वादीगण

पैरोकार सरकार

दावा उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 78 मिन रकबा 7 बीघा ग्राम नौन्दपुरा तहसील देवली में दिनांक 30.06.68 को भंवरलाल पुत्र देवीलाल गुर्जर निवासी नौन्दपुरा को आंवटन की गई थी एवं कब्जा मौके पर जिस स्थान पर सुपुर्द किया था वह वर्षो तक उसी भूमि पर काबिज था एवं काश्त कर रखा था जिसके नाम राजस्व रिकार्ड में विधिवत् खातेदारी अंकित की गई थी। ख0नं0 78 मिन के हाल ख0नं0 342 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 343 रकबा 0.92 है0 बनाए गए है जिनकी खातेदारी भंवरलाल गुर्जर के नाम अंकित कर दी गई। उसने उक्त ख0नं0 की भूमि जरिये रजिस्टर्ड सेल डिड प्रार्थीगण की माता नन्दू देवी पत्नि छीतर लाल को विक्रय कर दी, परन्तु जहां भंवरलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा था, उसी स्थान पर नन्दू देवी को कब्जा सुपुर्द किया था। नन्दू देवी के नाम खातेदारी अंकित कर दी गई थी। नन्दू देवी का देहान्त हो चुका है उसके बाद विरासत में प्रार्थीगण व इनकी बहन रूकमा के नाम हिस्सा बराबर अंकन हो चुका था। रूकमा ने अपना हिस्सा चारों भाईयों के नाम रिलिज कर दिया, इस कारण प्रार्थीगण खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण के खरीदशुदा भूमि पर एवं मौके पर कब्जे काश्तशुदा भूमि के हाल ख0नं0 437/350 रकबा 4.00 है0 बनाकर सेटलमेंट में चरागाह कर दी थी, लेकिन बाद में नियमानुसार उक्त भूमि को चरागाह से सेट अपार्ट करते हुए बीसलपुर परियोजना के डूब क्षैत्र में विस्थापितों को आंवटन हेतु आरक्षित भूमि के रूप में अर्थात सिवायचक में परिवर्तित कर दी गई है। जबकि उक्त ख0नं0 437/350 रकबा 4.00 है0 भूमि में से 1.85

है0 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर 1968 में साबिका आंवटन के मुताबिक मौके पर भंवरलाल को कब्जा दिया था। जिसने मौके पर खेत बना रखा था। उसने सद्भावना पूर्वक नन्दू देवी को विक्रय कर कब्जा दिया है तथा लगातार प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है। ख0नं0 342 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 343 रकबा 0.92 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.85 है0 भूमि को प्रार्थीगण की खातेदारी से हटायी जाकर सिवायचक दर्ज करने एवं उसके स्थान पर ख0नं0 437/350 रकबा 4.00 है0 में से 1.85 है0 भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के लिए प्रस्तुत वाद डिक्री करने योग्य है। भंवरलाल व नन्दू देवी अनपढ काश्तकार थे कानून व राजस्व रिकार्ड में नहीं समझते थे। हाल ख0नं0 437/350 रकबा 4.00 है0 में से 1.85 है0 भूमि का वर्षो से मौके पर खेत बना हुआ है। उस पर प्रार्थीगण शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह न कभी चरागाह रही न ही अन्य के हक में आंवटन योग्य ही है। बल्कि यह भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। वर्तमान अंकन प्रभावहीन व शून्य है।

प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जिसके अनुसार साबिक ख0नं0 78 मिन रकबा 7 बीघा की तरमीम शीट के साक्ष्य अपेक्षित है तथा भूमि बिसलपुर परियोजना के नाम दर्ज है जिसमें बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है। आंवटी को जिस स्थान पर भूमि संभलाई थी उसको आपत्ति नही थी। वादीगण को भूमि आंवटन नही है। बिसलपुर विस्थापितों हेतु आरक्षित भूमि परिवर्तन नही की जा सकती है तथा साबिक शीट में जहां भूमि संभलाई है उसके साक्ष्य भी नही है। दावा निरस्त योग्य है।

प्रकरण में तनकियात कायमी की जाकर सुनवाई गई। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य पी.डब्ल्यू–1 ब्रहमानन्द पुत्र छीतर निवासी रामपुरा तहसील टोडारायसिंह, स्वतंत्र साक्ष्य पी.डब्ल्यू–2 गोकुल गुर्जर पुत्र हरदेव जाति गुर्जर निवासी नोन्दपुरा व साक्ष्य पी. डब्ल्यू–3 रतनलाल गुर्जर पुत्र गंगाराम गुर्जर, साक्ष्य पी.डब्ल्यू–4 सोजीराम गुर्जर पुत्र जालमा गुर्जर निवासी नोन्दपुरा के साक्ष्य, शपथ पत्र पेश किये तथा इनके बयान कलमबद्ध किये।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात में मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 1. नक्शा मौका ट्रेस प्रदर्श 2, नकल जमबंदी (खतोनी) ग्राम नोन्दपुरा संवत 2066–69 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी (खतोनी) ग्राम नोन्दपुरा संवत 2058–61 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी (खेवट खतोनी) ग्राम बीजवाड संवत 2033–36 प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी (खेवट खतोनी) ग्राम नोन्दपुरा संवत 2066–70 प्रदर्श 6, मिलान क्षैत्रफल मसमूला मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2046–2065 प्रदर्श 7, भू–प्रबंध विभाग का खसरा पत्रक पृष्ठ संख्या 70 प्रदर्श 8, अवलोकन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण का ख0नं0 437/350 रकबा 4.00 है0 भूमि में से 1.85 है0 भूमि पर कब्जा काश्त है और यह कब्जा काश्त आंवटन के समय से ही चला आ रहा है परन्तु सेटलमेंट कर्मचारियों ने इस भूमि को चरागाह कर दिया और बाद में सेट अपार्ट करते हुए बीसलपुर परियोजना के डूब क्षैत्र के विस्थापितों को आंवटन हेतु

आरक्षित कर दी जो कि गलत है। बिना किसी विधिवत प्रक्रिया के ख0नं0 342 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 343 रकबा 0.92 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.85 है0 भूमि को प्रार्थीगण की खातेदारी में लगा दिया, इस बाबत् वादीगण अनपढ काश्तकार होने के कारण राजस्व व कानून की कोई जानकारी नही थी।

तहसीलदार देवली ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट नही हो रहा है कि ख0नं0 342 रकबा 0.93 है0 व ख0नं0 343 रकबा 0.92 है0 साबिक ख0नं0 78 मिन से बने है। वर्तमान में यह भूमि बिसलपुर परियोजना के विस्थापितों के लिए आरक्षित कर दी गई है जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दावा खारिज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया और बहस पर मनन करते हुए तथ्यों को देखा गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है :–

तनकी नं0 1 :– आया वादीपक्ष विवादित आराजी ख0नं0 437/350 रकबा 4.00 है0 में से 1.85 है0 भूमि वाके ग्राम नोन्दपुरा तहसील दूनी की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने के हकदार है ?

–वादीगण–

निर्णय :– इस तनकी को साबित को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ख0नं0 437/350 रकबा 4.00 है0 में से 1.85 है0 भूमि पर खातेदारी चाहता है जबकि 437/350 का मिलान क्षैत्रफल वादी द्वारा पेश नही किया गया है। वर्तमान में ख0नं0 437/350 बिसलपुर परियोजना विस्थापितों के पुनर्वास हेतु रिकार्ड में दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–1 के अनुसार साबिक ख0नं0 78 मिन रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा दर्ज है जबकि भंवरलाल पुत्र देवीलाल गुर्जर के नाम जमाबंदी संवत 2033–36 प्रदर्श–5 में ख0नं0 78 मिन का रकबा 7 बीघा दर्ज है। वादी ने दावे में स्वीकार किया है कि 78 मिन के हाल ख0नं0 342 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 343 रकबा 0.92 है0 बनाये गये है। ख0नं0 437/350 वादीगण अथवा भंवरलाल पुत्र देवीलाल की पूर्व में कभी खातेदार भूमि रही है इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है। अतः साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नही होने के आधार पर वादी ख0नं0 437/350 रकबा 4.00 है0 में 1.85 है0 भूमि पर खातेदारी उद्घोषणा कराने का हकदार नही पाया जाता है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2 :– आया वादीगण हाल ख0नं0 342, 343 का रकबा 1.85 है0 को सिवायचक कर तनकी नं0 1 में वर्णित आराजी की खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज करवाने व दुरूस्ती के हकदार है ?

–वादीगण–

निर्णय :– इस तनकी को साबित को साबित करने का भार वादी पर था।

वादी ने ख0नं0 437/350 रकबा 4.00 है0 भूमि में से 1.85 है0 भूमि पर खातेदारी स्वयं के नाम रिकार्ड में दर्ज करवाने तथा हाल ख0नं0 342 व ख0नं0 343 की भूमि को सिवायचक दर्ज करवाना चाहता है जबकि ख0नं0 342 व ख0नं0 343 वर्तमान में वादी की खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा ख0नं0 342 व ख0नं0 343 को कोई मिलान क्षैत्रफल पेश नही किया गया है। अतः ख0नं0 342 व 343 की भूमि पूर्व में सिवायचक थी इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है वहीं दूसरी तरफ ख0नं0 437/350 की भूमि पर पूर्व में वादी की खातेदारी रही है इस संबंध में भी कोई साक्ष्य पेश नही किया गया

है। अतः साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नही होने के आधार पर वादीगण ख0नं0 342 ख0नं0 343 को सिवायचक दर्ज करवाने का अधिकारी नही है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 :– आया प्रतिवादी पेरोकार सरकार प्रस्तुत जवाब दावा न्यायोचित है ?

–प्रतिवादीगण–

निर्णय :– इस तनकी को साबित को साबित करने का भार प्रतिवादीगण तहसीलदार पर था।

वादीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 342 व 343 का सिवायचक दर्ज करवाना चाहता है तथा ख0नं0 437/350 रकबा 4.00 है0 में से 1.85 है0 को अपनी खातेदारी में लगाना चाहते है। पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार दावें में चरण संख्या 8 में वादी द्वारा चाही गई भूमि बिसलपुर परियोजना के नाम दर्ज है जिसमें बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है। वादी द्वारा साबिक शीट में भूमि संभलाई जाने के साक्ष्य भी पेश नही किये गये है तथा चरागाह तथा बिसलपुर विस्थापितों हेतु आरक्षित भूमि के रिकार्ड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वादी द्वारा पैरोकार सरकार के जवाब में उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण हेतु कोई साक्ष्य पेश नही किये गये है। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीवार निर्णय से स्पष्ट है वादीगण ख0नं0 437/350 रकबा 4.00 है0 भूमि में से 1.85 है0 भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाना चाहता है बदले में स्वयं की खातेदारी में दर्ज ख0नं0 342 व ख0नं0 343 को सिवायचक दर्ज करवाना चाहता है। वर्तमान में बिसलपुर परियोजना के नाम दर्ज भूमि 437/350 पूर्व में वादी की खातेदारी भूमि रही है। इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। अतः वादीगण ख0नं0 342 व ख0नं0 343 को सिवायचक दर्ज करवाने तथा ख0नं0 437/350 रकबा 4.00 है0 में से 1.85 है0 भूमि स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी नही पाया जाता है। अतः साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नही होने के आधार पर यह दावा खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 28.06.19को सुनवाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली